


16.10.2023-पत्रावली पेशी मे आई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित
वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज
लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी
व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

